



## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:- eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक- 324 / 1 सी 0 वन

दिनांक 13/03 /2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी  
देहरादून

विषय:- मा0मु0घो0 सं0 1471/2015 मे राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.910 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.030 हे0 कुल 0.940 हे0 वन पंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव। (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/38601/2019)

सन्दर्भ:- आपका आनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 02.2.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र के क्रम मे देवल से धानई तक मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या निम्नलिखित है।

| क्र0सं0 | प्रश्न                                                                                                                  | उत्तर                                                                                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Short Narrative of Project still does not give any information about the Project.                                       | Short Narrative of Project संशोधित कर आनलाइन अंकित कर दिया गया है।                                                                                                                               |
| 2       | User agency may review temporary employment generation details at section E in Form A, part I.                          | temporary employment generation संशोधित कर part I के section E में आनलाइन अपलोड कर दिया गया है।                                                                                                  |
| 3       | . Justification is not authenticated by DFO. upload Justification at para- D (i) in form A, part I authenticated by DFO | Justification प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर से सत्यापित कर part I के para- D (i) आनलाइन अपलोड कर दिया गया है।<br>संलग्न- Justification For Forest land का प्रपत्र मूल में। |

संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता 13/03/19  
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0  
गौचर (चमोली)

पत्रांक- / 1 सी 0 (वन) तददिनांक

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता प्रथम अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0  
गौचर (चमोली)

## JUSTIFICATION FOR FOREST LAND

परियोजना का नाम—

मा0मु0घो0 सं0 1471/2015 मे राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे देवल से धानई तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.910 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.030 हे0 कुल 0.940 हे0 वन पंचायत भूमि का लो0नि0वि0 का हस्तान्तरण।

यह मोटर मार्ग कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग के कि0मी0 28 प्रारम्भ हो कर ग्राम धानई तक जाता है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम धानई के ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी वर्तमान में गांव की महिलाएं पानी लकड़ी, चारा आदि लाने दूर जाती है मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दें पाएंगी। गाँव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के ओर नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल, सब्जी, अनाज, आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पायेंगे। साथ ही गाव विकास की ओर अग्रसर होगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

समरेखण-1

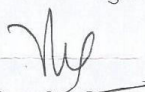
यह मोटर मार्ग कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग के कि0मी0 28 से प्रारम्भ होकर धानई गाँव तक 2.00 कि0मी0 लम्बाई मे जाता है। इस समरेखण पर क्षेत्रिय जनता की सहमति हैं तथा भू-गर्भ वेता द्वारा भी समरेखण को मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया है। इस समरेखण में हेयरपिन बैण्डो की संख्या 4 हैं तथा 136 वृक्ष प्रभावित होते हैं।

समरेखण-2

यह मोटर मार्ग कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग के कि0मी0 28 से प्रारम्भ होकर धानई गाँव तक 2.00 कि0मी0 लम्बाई मे जाता है। इस समरेखण से क्षेत्रिय जानता भी सहमत नहीं हैं। इस समरेखण में हेयरपिन बैण्डो की संख्या 5 हैं तथा 200 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

उपरोक्त दोनों समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नहीं हैं। अतः मार्ग निर्माण हेतु संमरेखण न0-1 उपर्युक्त हैं।

  
सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0  
गौचर (चमोली)

  
अधिशाली अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0  
गौचर (चमोली)

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग  
गोपेश्वर।